DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY pre PARE
Current affairs summary for prelims

11 March, 2024

भारत-EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता

संदर्भ: *विगत 10 मार्च, 2024 को भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ ने एक व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते (TEPA) पर हस्ताक्षर किए हैं।*

➢ **EFTA के साथ TEPA का अवलोकन:**

- माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और लिकटेंस्टीन सहित EFTA देशों के साथ व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते (TEPA) को मंजूरी दे दी है।
- वर्ष 1960 में स्थापित ई. एफ. टी. ए. अपने चार सदस्य राज्यों के बीच मुक्त व्यापार और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देता है।

➢ **समझौते की मुख्य बातें:**

- TEPA एक आधुनिक और महत्वाकांक्षी व्यापार समझौते का प्रतिनिधित्व करता है, जो यूरोप में चार विकसित देशों के साथ भारत का पहला FTA है।
- इसमें अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर के निवेश और 10 लाख प्रत्यक्ष नौकरियों की बाध्यकारी प्रतिबद्धताएं शामिल हैं।
- इस समझौते का उद्देश्य मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना और युवा और प्रतिभाशाली कार्यबल के लिए अवसर प्रदान करना, यूरोपीय और वैश्विक बाजारों तक पहुंच बढ़ाना है।

➢ **समझौते में शामिल सुविधाएँ:**

- इन समझौते में बाजार पहुंच, मूल के नियम, व्यापार सुविधा, निवेश संवर्धन, बौद्धिक संपदा अधिकार और सतत विकास सहित विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने वाले 14 अध्याय शामिल हैं।
- यह वस्तुओं, सेवाओं, निवेश और व्यापार संबंधों को बढ़ाने के लिए कानूनी प्रावधानों जैसे क्षेत्रों को संबोधित करता है।

➢ **TEPA की मुख्य विशेषताएं:**

- EFTA 15 वर्षों में भारत में एफडीआई को 100 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने और 1 मिलियन नौकरियां पैदा करने के लक्ष्य के साथ निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।
- टैरिफ रियायतें व्यापार के एक महत्वपूर्ण हिस्से को कवर करती हैं, भारत अपनी टैरिफ लाइनों के 82.7% तक पहुंच प्रदान करता है।
- विशिष्ट प्रावधान फार्मा, चिकित्सा उपकरणों और प्रसंस्कृत खाद्य जैसे संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा करते हैं।

➢ **सेवाएँ और बौद्धिक संपदा अधिकार:**

- TEPA आईटी, व्यावसायिक सेवाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में सेवाओं के निर्यात की सुविधा प्रदान करता है।
- पेशेवर सेवाओं में पारस्परिक मान्यता समझौतों के प्रावधान मानकों में अनुकूलता सुनिश्चित करते हैं।
- बौद्धिक संपदा अधिकार प्रतिबद्धताएं जेनेरिक दवाओं और पेटेंट नियमों से संबंधित चिंताओं को संबोधित करते हुए ट्रिप्स मानकों का पालन करती हैं।

➢ **सतत विकास और व्यापार सुविधा:**

- TEPA व्यापार प्रक्रियाओं में सतत विकास, पारदर्शिता और दक्षता के प्रति प्रतिबद्धताओं को रेखांकित करता है।
- इसका उद्देश्य निर्यातकों को सशक्त बनाना, विशेष इनपुट तक पहुंच बढ़ाना और व्यापार और निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाना है।

➢ **भारत की अर्थव्यवस्था और "मेक इन इंडिया" पहल के लिए निहितार्थ:**

- TEPA से बुनियादी ढांचे, विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल्स और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
- यह भारतीय कंपनियों को स्विट्जरलैंड के माध्यम से यूरोपीय संघ के बाजारों तक पहुंचने का अवसर प्रदान करता है और प्रौद्योगिकी सहयोग और नवाचार को प्रोत्साहित करता है।

➢ **रोजगार सृजन और कौशल विकास:**

- समझौते में अगले 15 वर्षों में भारत के युवाओं के लिए बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष नौकरियों के सृजन की परिकल्पना की गई है।
- यह प्रौद्योगिकी सहयोग और अग्रणी प्रौद्योगिकियों तक पहुंच की सुविधा के साथ-साथ व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण पर जोर देता है।

A Hierarchy of Regional Economic Integration Initiatives

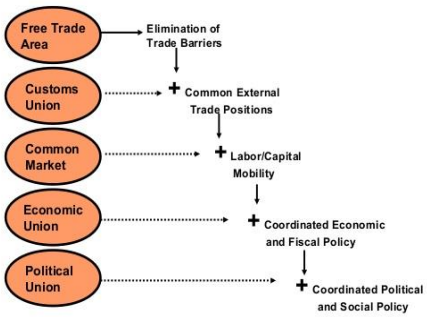

2-12

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति

संदर्भ: *चुनाव आयोग (EC) द्वारा अरुण गोयल के अप्रत्याशित इस्तीफे और अनूप चंद्र पांडे की सेवानिवृत्ति के कारण हुई दो रिक्तियों को 15 मार्च तक भरने की उम्मीद है।*

- चुनाव आयोग के भीतर रिक्तियों को संबोधित करने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय चयन समिति की 14 मार्च को बैठक होने की उम्मीद है।
- विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी को इस समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया है।
- वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव की घोषणा नजदीक आने के साथ ही सरकार नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी ला रही है।
- कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के मार्गदर्शन में एक खोज समिति द्वारा उम्मीदवारों की एक शॉर्टलिस्ट संकलित की जाएगी, जिसमें केंद्रीय गृह सचिव और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के सचिव शामिल हैं।

➢ **संवैधानिक प्रावधान:**

- संविधान के भाग XV (चुनाव) में केवल पाँच अनुच्छेद (324-329) शामिल हैं।
- मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (EC) की नियुक्ति की विधायी प्रक्रिया संविधान में विशेष रूप से उल्लिखित नहीं है।
- अनुच्छेद 324; चुनाव आयोग को "चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण" का अधिकार देता है, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त CEC और अन्य EC शामिल होते हैं।
- राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर CEC और EC की नियुक्ति करते हैं।
- विधि/कानून मंत्री विचार के लिए प्रधानमंत्री को उपयुक्त उम्मीदवारों के एक समूह की सिफारिश करते हैं, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह के आधार पर अंतिम नियुक्ति करते हैं।

➢ **पदमुक्ति/पदच्युति:**

- CEC और EC के पास स्वेच्छा से इस्तीफा देने का विकल्प होता है या उन्हें अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले हटाया जा सकता है।
- CEC को हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है और इसमें संसदीय भागीदारी की आवश्यकता होती है।
- किसी अन्य EC को हटाना केवल CEC की सिफारिश पर ही संभव हो सकता है।

Face to Face Centres

DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029

dhyeyaias.com

DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY pre PARE
Current affairs summary for prelims

11 March, 2024

CEC और अन्य EC (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक, 2023

- **मौजूदा विधान का प्रतिस्थापन:**
  - यह विधेयक चुनाव आयोग (चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तें और व्यवसाय का संचालन) अधिनियम, 1991 के स्थान पर लाया गया है।
  - यह मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (EC) की नियुक्ति, वेतन और निष्कासन प्रक्रियाओं से संबंधित मामलों को संबोधित करता है।
- **नियुक्ति प्रक्रिया:**
  - राष्ट्रपति एक चयन समिति की सिफारिश के आधार पर CEC और EC की नियुक्ति करेंगे।
  - चयन समिति में प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और विपक्ष के नेता या लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता शामिल होते हैं।
  - चयन समिति द्वारा की गई सिफारिशें समिति के भीतर रिक्तियों की स्थिति में भी मान्य रहती हैं।
  - कैबिनेट सचिव के नेतृत्व में एक खोज समिति चयन समिति को नामों की एक सूची प्रस्तावित करेगी।
  - इन पदों के लिए पात्रता में केंद्र सरकार के सचिव के समकक्ष पद धारण करना या रखना शामिल है।
- **वेतन और शर्तों में परिवर्तन:** CEC और EC के वेतन और सेवा शर्तें अब कैबिनेट सचिव के समान होंगी, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन के पिछले समकक्ष से हटकर होंगी।
- **पदमुक्ति/पदच्युति की प्रक्रिया:**
  - विधेयक संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 324(5)) को बनाए रखता है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान CEC को हटाने की अनुमति देता है।
  - EC को केवल CEC की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है।
- **CEC और EC के लिए सुरक्षा:**
  - विधेयक CEC और EC को उनके कार्यकाल के दौरान की गई कार्रवाइयों से संबंधित कार्यवाही के खिलाफ कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है, बशर्ते कि ऐसी कार्रवाइयां आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में की गई हों।
  - इस संशोधन का उद्देश्य इन अधिकारियों को उनके आधिकारिक कार्यों से संबंधित नागरिक या आपराधिक कार्यवाही से बचाना है।

वायजर (Voyager) 1 का पुराना या निरर्थक हो जाना

संदर्भ: *अंतरिक्ष में सबसे दूर मानव निर्मित वस्तु वायजर 1 की कार्यक्षमता को लेकर कई तरह की चिंताएं उत्पन्न हो गई हैं, क्योंकि यह नवंबर से ही निरर्थक डेटा संचारित कर रहा है।*

वायजर 1 का योगदान:

- वायजर 1 ने अपने मिशन के दौरान कई महत्वपूर्ण खोजें कीं हैं, जिनमें बृहस्पति के चारों ओर एक पतली अंगूठी जैसी संरचना का निर्माण, बृहस्पति के दो नए चंद्रमा, शनि के पांच नए चंद्रमा और शनि के चारों ओर एक नई रिंग वलय की पहचान करना शामिल है जिसे जी-रिंग के रूप में भी जाना जाता है।
- इसे वायजर 2 के साथ वर्ष 1977 में लॉन्च किया गया था, यह अंतरिक्ष यान मूल रूप से दो-ग्रह मिशन के लिए योजनाबद्ध था, लेकिन आगे चलकर यूरेनस और नेप्च्यून का पता लगाने के लिए भी इसका विस्तार किया गया।

वायजर मिशन की विरासत:

- शुरुआत में पांच साल के मिशन के लिए डिज़ाइन किए जाने के बावजूद, वायजर अंतरिक्ष यान ने चार दशकों से अधिक समय से मूल्यवान डेटा का संचालन और संचार करना जारी रखा है।
- नासा का दावा है कि भले ही मिशन बृहस्पति और शनि के उड़ान भरने के बाद समाप्त हो गया हो, लेकिन एकत्र की गई जानकारी ने खगोल विज्ञान और सौर मंडल के बारे में हमारी समझ को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया होगा।

वायजर (Voyager) 1:

- वायजर 1, नासा के वायजर कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसे बाह्य सौर मंडल और अंतरतारकीय अंतरिक्ष का पता लगाने के लिए 5 सितंबर 1977 को लॉन्च किया गया था।
- इसे अपने जुड़वां मिशन वायजर 2 के 16 दिन बाद लॉन्च किया गया, यह नासा डीप स्पेस नेटवर्क (DSN) के माध्यम से पृथ्वी के साथ संचार करता है।
- वास्तविक समय की दूरी और वेग डेटा नासा और जेपीएल द्वारा प्रदान किया जाता है, जनवरी 2024 तक वायजर 1 वर्तमान में पृथ्वी से 163 AU (24.4 बिलियन किमी; 15.2 बिलियन मील) दूर है।
- वायजर 1 ने बृहस्पति, शनि और शनि के चंद्रमा टाइटन की उड़ान भरी, इसके ज्ञात वातावरण के कारण प्लूटो पर टाइटन को प्राथमिकता दी गई।
- इसने बृहस्पति और शनि के मौसम, चुंबकीय क्षेत्र और छल्लों का अध्ययन किया, और उनके चंद्रमाओं की विस्तृत छवियां प्रदान कीं।
- वायजर 1 के विस्तारित मिशन का उद्देश्य बाहरी हेलियोस्फीयर और इंटरस्टेलर माध्यम की सीमाओं का पता लगाना है।
- इसने 25 अगस्त, 2012 को हेलिओपॉज़ को पार किया और अंतरतारकीय अंतरिक्ष में प्रवेश किया, ऐसा करने वाला यह पहला अंतरिक्ष यान बन गया।
- 12 दिसंबर, 2023 को, नासा ने घोषणा की कि वायजर 1 की उड़ान डेटा प्रणाली इसकी टेलीमेट्री मॉड्यूलेशन इकाई का उपयोग करने में असमर्थ है, जिससे संभावित रूप से वैज्ञानिक डेटा संचारित करने की इसकी क्षमता प्रभावित हो रही है, इसके भविष्य के मिशन की स्थिति अनिश्चित है।

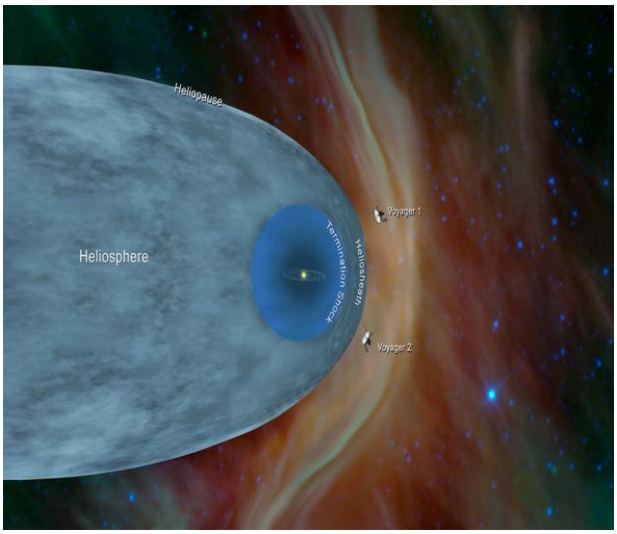

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY pre PARE
Current affairs summary for prelims

11 March, 2024

NEWS IN BETWEEN THE LINES

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी)

हाल ही में, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) को तेलंगाना में अनुसूचित जातियों (एससी) के उप-वर्गीकरण पर सुझाव देने का निर्देश दिया है, जिसमें मडिगा समुदाय जो विशेष रूप से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है को प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है।

गठन और जनादेश के बारे में:

- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) की स्थापना भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत अनुसूचित जातियों (एससी) और एंग्लो-इंडियन समुदाय के हितों की रक्षा करने तथा उनके सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए की गई थी।
- इसकी स्थापना 2004 में भारत की संसद द्वारा की गई थी और यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन है।
- यह एक संवैधानिक निकाय है जिसे संविधान और अन्य कानूनों के तहत अनुसूचित जातियों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करने का काम सौंपा गया है।
- इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य होते हैं, जिन सभी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के अधीन वारंट द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- यह अनुसूचित जातियों के सुरक्षा उपायों से संबंधित मामलों की जांच और निगरानी करता है, शिकायतों की जांच करता है, सरकार को सलाह देता है और अपने जांच और निष्कर्षों के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

मडिगा समुदाय:

- मडिगा समुदाय दक्षिण भारत का एक तेलुगु जाति है।
- वे एक अनुसूचित जाति (एससी) हैं और मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक राज्यों में निवास करते हैं।
- मडिगा समुदाय का एक छोटा सा अल्पसंख्यक समूह तमिलनाडु में भी रहता है।
- मैडिगा समुदाय पारंपरिक रूप से सिलवट बनाने, चमड़े की टैनिंग करने और डप्पू नामक पारंपरिक ड्रम तैयार करने से जुड़ा हुआ है।
- उप-वर्गीकरण में मौजूदा एससी जाति समूहों को सरकारी लाभ प्राप्त करने में उनके ऐतिहासिक प्रभुत्व के आधार पर आगे की श्रेणियों में वर्गीकृत करना शामिल है।
- इसका उद्देश्य ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहने वाले समूहों को अधिक लाभ और पारंपरिक रूप से प्रभावशाली समूहों को कम लाभ आवंटित करके समुदायों के बीच लाभों का अधिक न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करना है।

सुनेहरा लंगूर (Golden Langur)

हाल ही में, प्राइमेट रिसर्च सेंटर एनई इंडिया, असम वन विभाग, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, सैकॉन और कंजर्वेशन हिमालयस द्वारा किए गए एक व्यापक सर्वेक्षण से पता चला है कि भारत में सुनहरे लंगूरों की अनुमानित आबादी 7,396 है।

सुनेहरे लंगूर के बारे में:

- सुनहरा लंगूर, जिसे वैज्ञानिक रूप से ट्रैकिपिथेकस गी (Trachypithecus geei) के नाम से जाना जाता है, सर्कोपिथेसिडे (Cercopithecidae) परिवार और ट्रैकिपिथेकस (Trachypithecus) जीनस से संबंधित है।
- यह मुख्य रूप से भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में पाया जाता है विशेषकर असम, पश्चिम बंगाल और मेघालय राज्यों में।
- यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय वनों सहित वनाच्छादित क्षेत्रों में रहता है।
- इसकी एक लंबी पूंछ, अच्छी तरह विकसित अंग और एक छोटे से चेहरे के साथ अपेक्षाकृत छोटा सिर होता है।
- यह प्राथमिक और द्वितीयक दोनों वनों में रहता है साथ ही नदियों और नालों से सटे क्षेत्रों में भी रहता है।
- यह मुख्य रूप से वृक्षीय (arboreal) है, अपना अधिकांश समय पेड़ों पर बिताता है, लेकिन भोजन के लिए जमीन पर भी चारा खाता है।
- सुनहरा लंगूर मुख्य रूप से पत्तियां खाने वाला (folivorous) जंतु है जो विभिन्न प्रकार की पत्तियों, फलों, फूलों और बीजों को खाता है।
- अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) की लाल सूची में लुप्तप्रायः (Endangered) प्रजाति के रूप में सुनहरे लंगूर को वर्गीकृत किया गया है।

कनेक्टोम

कनेक्टोम के बारे में:

- कनेक्टोम मस्तिष्क में न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शन या सिनैप्स का एक व्यापक मानचित्र है।
- यह विद्युत और रासायनिक संकेतों को प्रसारित करने के लिए तंत्रिका मार्गों के जटिल नेटवर्क का प्रतिनिधित्व करता है।
- यह मस्तिष्क की तंत्रिका वास्तुकला के ब्लूप्रिंट के रूप में कार्य करता है जिसमें दर्शाया गया है कि न्यूरॉन्स कैसे आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं।
- यह मस्तिष्क की कार्यप्रणाली, अनुभूति और व्यवहार को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- कनेक्टोम को मैप करने में उन्नत इमेजिंग तकनीकों और कम्प्यूटेशनल तरीकों का उपयोग करके व्यक्तिगत न्यूरॉन्स और तंत्रिका सर्किट के बीच कनेक्शन का पता लगाना और कल्पना करना शामिल है।
- यह प्रक्रिया शोधकर्ताओं को जटिलता के विभिन्न स्तरों पर मस्तिष्क के संरचनात्मक और कार्यात्मक संगठन को उजागर करने में मदद करती है।
- कनेक्टोम को समझने से मस्तिष्क विकारों और अल्जाइमर रोग, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार और सिज़ोफ्रेनिया जैसी तंत्रिका संबंधी स्थितियों में अंतर्दृष्टि मिलती है।

सुर्खियों में स्थल

कैटलहोयुक

हाल ही में, तुर्की के कैटलहोयुक में वैज्ञानिकों ने दुनिया की 'सबसे पुरानी रोटी' की खोज की है।

कैटालहोयुक:

- कैटलहोयुक अनातोलिया में स्थित है, विशेष रूप से तुर्की के एशियाई भाग के भीतर, कोन्या प्रांत के कुमरा जिले में।
- दक्षिणी अनातोलिया में कैटालहोयुक दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अच्छे संरक्षित नवपाषाण स्थलों में से एक है।
- 2012 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित, कैटालहोयुक नवपाषाण काल के दौरान प्रारंभिक मानव बस्तियों में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

डबल रोटी:

- सबसे पुरानी रोटी कैटालहोयुक में "मेकन 66" के रूप में पहचानी जाने वाली भट्ठी जैसी संरचना के भीतर पाई गई थी।
- विश्लेषण से पता चला कि ब्रेड पाव गेहूं, जौ और मटर के मिश्रण से बनाया गया था।
- वैज्ञानिकों ने ब्रेड के अवशेषों पर रेडियोकार्बन डेटिंग की, जिससे इसकी आयु 6600 ईसा पूर्व बताई गई, जो लगभग 8,600 वर्ष की आयु का संकेत देती है।
- इसे पानी और आटे को मिलाकर तैयार किया जाता था और किण्वन के लिए छोड़ दिया जाता था; हालाँकि, इसे पकाया नहीं गया था।
- गेहूं (ट्रिटिकम एस्टिवम) और जौ (होर्डियम वल्गारे) दोनों को पहली बार 10,000 ईसा पूर्व के आसपास उपजाऊ क्रिसेंट में मनुष्यों द्वारा पालतू बनाया गया था, जो शिकारी-संग्रहकर्ता से बसे हुए कृषक समुदायों में एक महत्वपूर्ण संक्रमण का प्रतीक था।

POINTS TO PONDER

- किस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ने पशु तस्करी से निपटने के लिए ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया? – **जम्मू और कश्मीर**
- स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए आरबीआई ने किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? – **बैंक इंडोनेशिया**
- 2024 में कौन सा देश 32वें सदस्य के रूप में नाटो में शामिल हुआ? – **स्वीडन**
- भारत और दूसरे देश के बीच संयुक्त तटरक्षक अभ्यास का नाम क्या है, जिसे हाल ही में "सी डिफेंडर्स-2024" के नाम से जाना गया है? – **संयुक्त राज्य अमेरिका**
- किन मंत्रालयों ने संयुक्त रूप से स्कूल मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया? – **शिक्षा मंत्रालय और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय**